समाहरणालय, अरवल।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
28.10.2016	न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0 – 20/डी0एम0/2016 आदेश श्री बलवन्त सिंह, पे0–श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, सा0–दीरपाल विगहा, पो0–प्रसादी इंगलिश, जिला–अरवल द्वारा एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2014 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 19.02.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को आवेदक उपस्थित हुआ तथा उनका पक्ष सुना गया। साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे कृषि संबंधी कार्य करते हैं तथा वे अपने पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, के अनुज्ञप्ति संख्या 447/51 पर धारित डी0बी0बी0एल0 गन संख्या 82694 को अपने नाम पर स्थानान्तरित कराना चाहते हैं। आवेदक द्वारा यह भी जानकारी दी गई की उनके पिता के नाम से एन0पी0 बोर राईफल एवं डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति है। एन0पी0बोर राईफल की अनुज्ञप्ति हेतु उनके एक छोटे भाई श्री मनोज कुमार द्वारा भी आवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें हम सभी भाईयों की आपसी सहमति है। आवेदक द्वारा दिनांक 26.10.2016 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन देते हुए अनुरोध किया गया कि उनके छोटे भाई श्री मनोज कुमार को अपने पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह के नाम पर धारित एन0पी0बोर राईफल के स्थानान्तरण हेतु राईफल की अनुज्ञप्ति आवेदन पर विचार किया जाये तथा उनकी अनुज्ञप्ति आवेदन को रद्द कर दिया जाए। आवेदक द्वारा अपने डी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने का अनुरोध एवं शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री बलवन्त सिंह, पे0–श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, सा0–दीरपाल विगहा, पो0–प्रसादी इंगलिश, जिला–अरवल के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को *अस्वीकृत* किया जाता है। *वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।* लेखापित एवं संशोधित 28/10/16 जिला दंडाधिकारी, अरवल 28/10/16 जिला दण्डाधिकारी, अरवल	